



16

हर घर जल घोषित करने के लिए ग्राम पंचायत का ठराव/ संकल्प
संकल्प/ ठराव संख्या: 01

दिनांक: 20/06/22

सदस्य: आर डब्ल्यू एस/पी. एच. ई. विभाग का प्रमाण पत्र (सलरनक)
विषय: हर घर जल गांव की घोषणा - गांव के सभी घरों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति,
न्यूनतम 55 लीटर, स्वच्छ जल की आपूर्ति हेतु नल कनेक्शन के बारे में।

जिला: कुरुक्षेत्र

ब्लॉक: सरहिंद

ग्राम पंचायत : फलोपुर कपुरपुर

गांव: फलोपुर कपुरपुर

1. घरों की कुल संख्या: 498
2. नल कनेक्शन वाले घरों की संख्या: 498
3. संस्थानों में नल कनेक्शन का विवरण:
 - i.) ग्राम पंचायत भवन :-
 - ii.) स्वास्थ्य केंद्र :-
 - iii.) स्कूल :-
 - iv.) आंगनवाड़ी :-
 - v.) भाश्मशाला :-
 - vi.) मवेशी प्याऊ :-
 - vii.) सामुदायिक स्नान घाट :-
 - viii.) सामुदायिक शौचालय :-
4. सामुदायिक योगदान और बैंक खाते का विवरण:
 - i.) नकद :-
 - ii.) साधन सामग्री :-
 - iii.) श्रमदान :-
 - iv.) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) :-
 - v.) बैंक खाते का विवरण :-



5. पानी की गुणवत्ता को नियमित निगरानी के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को एफ डी के (फोल्ड टेस्टिंग किट) का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है (नाम और वर्तमान संपर्क नंबर)

- i) सीमा (आयुष्यापाई) 9616 450 466
- ii) सीमा (आयुष्यापाई) 9616 450 466
- iii) अना (आयुष्यापाई) 956 955 467
- iv) शशी देवी (आयुष्यापाई) 959 467 467
- v) सुजा देवी (सुहृद् महिला) 9289 438269

6. योजना के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की पहचान की गई है (नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर)

- i) राजवीर सिंह (आयुष्यापाई) 9123 456 789
- ii) शशि देवी (आयुष्यापाई) 9123 456 789

7. तकनीकी सहायता के लिए और उच्चतम स्तर की सहायता के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों का नाम निम्नानुसार है

(नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर)

- i) सुधा सिंह (आयुष्यापाई) 9123 456 789
- ii) शशि देवी (आयुष्यापाई) 9123 456 789

8. गांव के इलेक्ट्रिशियन पांडु मिश्र और राजवीर अर्थात् कृष्ण कर्षीदार जो निरक्षर की वजह से काम में मदद करेगा, निम्नानुसार है (नाम, पदनाम और वर्तमान संपर्क नंबर)

- i) सुधा सिंह (आयुष्यापाई) 9123 456 789
- ii) शशि देवी (आयुष्यापाई) 9123 456 789

आम प्रचारायतन/उच्चतम स्तर की/पानी आगिन संचालन करने करती है कि गांव में जांचपानि के लिए प्रदान किए गए नल कनेक्शन और प्रबंधन के लिए मानव सहायता ऊपर वर्णित विवरण के अनुसार है। आम प्रचारायतन निम्नानुसार संचालन लेती है कि



- i.) निमाही में कम से कम एक बार पानी का नमूना परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा,
- ii.) एफ.टी.के. से परीक्षण करके परिणाम JJM-WQMIS पोर्टल पर साझा किया जाएगा.
- iii.) सेंसर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए सेंसर स्थापित करने के लिए मदद और उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा.
- iv.) संचालन और रखरखाव के लिए प्रति घर 50/- रूपए का जल उपयोग शुल्क पानी समिति के बैंक खाते में लिया जाएगा।

पंचायत सचिव/अधिकारी
का.सि. फतेहपुर कपूरपुर
वि.ख. उमदा (तिवा) कन्नौज

(नाम मुहर सहित)
ग्राम पंचायत/ गाव. फतेहपुर कपूरपुर
खंड २२९
जिला कन्नौज

सरपंच/ अध्यक्ष/ अध्यक्षा
वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति

ब.सी. प्रधान
(नाम मुहर सहित)
ग्राम पंचायत/ गाव. फतेहपुर कपूरपुर
वि.ख. उमदा (तिवा) कन्नौज
खंड २२९
जिला कन्नौज



अनुलग्नक

'हर घर जल'- गांव

प्रमाणपत्र

(पी.एच.ई./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा)

जिला:उत्तरांचल.....

ब्लॉक:उत्तरांचल.....

ग्राम पंचायत:उत्तरांचल.....

गांव:उत्तरांचल.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह गांव 'हर घर जल' है अर्थात् निम्नलिखित कार्यों की पूर्णता के अवलोकन के पश्चात्, दिनांक तक गाँव के सभी घरों में नल जल कनेक्शन दे दिए गए हैं :

1. सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है;
2. सभी नल कनेक्शन पाइप को क्लैप के साथ दीवारों पर लगाया गया है और खुली जगह के मामले में, पाइप उचित सीमेंट-कंक्रीट (सीसी) प्लेटफॉर्म में स्थित कर दिए गए हैं;
3. सभी घरों में नल के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति की जा रही है;
4. सभी घरों में नल के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता सुरक्षित है (आईएस 10500 के अनुसार);
5. गाँव में वितरण पाइप लाइन से पानी का रिसाव नहीं हो रहा है;
6. सभी ग्राम पदाधिकारियों के नाम जैसे ग्राम पंचायत सदस्य वी डब्ल्यू एस सी, सदस्य, ओ एंड एम स्टाफ, एफ.टी.के. का उपयोग करने के लिए परीक्षण के लिए प्रशिक्षित 5-व्यक्ति और संबंधित पी.एच.ई.डी. अधिकारी की पहचान की गयी है और आई.एम.आई.एस. पर अपलोड कर दिया गया है;
7. जिस परिवार को नल कनेक्शन दिया गया है, उसका विवरण आई.एम.आई.एस. पर अपलोड कर दिया गया है;
8. जलापूर्ति कार्य पूरा होने के बाद सभी सड़कों को सुधार दिया गया है;
9. सरपंच/ वार्ड सदस्यों के साथ एक ट्रान्सेक्ट वॉक का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों को घरेलू नल कनेक्शन और संदूषण मुक्त शुद्ध पानी पीने के लाभों के बारे में शिक्षित कर दिया गया है;
10. सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ियों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आश्रमशाला को नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है;



11. घरों और संस्थानों से निकलने वाले ग्रे वाटर का वैज्ञानिक विधि से निपटान किया जा रहा है/ किया जाएगा; तथा
12. वर्षा जल संचयन/भूजल पुनर्भरण संरचना लागू कर दी गई है/की जाएगी।

Sarwan
20/06/22
नामित पर्यवेक्षी अधिकारी
(तारीख के साथ हस्ताक्षर)

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस.एस.